

उत्तर प्रदेश शासन
नियुक्ति अनुभाग-2
संख्या-91/2017/2695/दो-2-2017-46/2(8)/2010
लखनऊ: दिनांक: 25 अगस्त, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

नियुक्ति अनुभाग-1 के आदेश दिनांक 29.6.2017 द्वारा डा0 नितिन बंसल, आई0ए0एस0 की तैनाती नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी के पद पर किये जाने के फलस्वरूप उक्त पद पर तैनात श्री श्रीहरि प्रताप शाही, पी0सी0एस0 दिनांक 3.7.2017 के अपरान्ह में कार्यमुक्त होकर दिनांक 4.7.2017 को नियुक्ति विभाग में योगदान आख्या प्रस्तुत की गई। पुनः शासन के आदेश दिनांक 19.7.2017 द्वारा श्री श्रीहरि प्रताप शाही, पी0सी0एस0 की तैनाती विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0शासन के पद पर की गई, जिसके अनुपालन में श्री शाही द्वारा दि0-20.7.2017 के पूर्वान्ह में नवीन तैनाती का कार्यभार ग्रहण किया गया।

(2) इस प्रकार श्री श्रीहरि प्रताप शाही, दि0-4.7.2017 से 19.7.2017 तक किसी पद पर कार्य नहीं कर सके। इसमें उनका स्वयं का कोई दोष नहीं है। अतः उक्त अवधि का बाध्य प्रतीक्षाकाल स्वीकृत किये जाने का औचित्य पाया गया।

(3) अतः श्री राज्यपाल, श्री श्रीहरि प्रताप शाही को दि0-4.7.2017 से 19.7.2017 तक की बाध्य प्रतीक्षा अवधि में वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड दो भाग-2 से 4 के मूल नियम-9(6)(बी)(III) के अन्तर्गत ड्यूटी पर मानने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(4) बाध्य प्रतीक्षा की उक्त अवधि में श्री श्रीहरि प्रताप शाही को उक्त नियमावली के मूल नियम-20 के अन्तर्गत वही वेतन एवं मंहगाई भत्ता देय होगा जो अन्यथा वे ड्यूटी में रहने की दशा में प्राप्त करते होते। मकान किराया भत्ता एवं नगर प्रतिकर भत्ता यथा अनुमन्य भुगतान से पूर्व श्री श्रीहरि प्रताप शाही से सहायक नियम-152 एफ में निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र प्राप्त कर किया जायेगा।

(5) यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0-जी(1)-370/दस-2017, दि0-23.8.2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

उदय भानु त्रिपाठी
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. उप सचिव, इरला चेक (वे0प0अनुभाग), उ0प्र0शासन।
3. संबंधित अधिकारी।
4. वित्त (सामान्य) अनुभाग-1

आज्ञा से,

(राजेश प्रताप सिंह)
उप सचिव।